मेल

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश

निर्यात भवन,द्वितीय तल,8 कैण्ट रोड,कैसरबाग
लखनऊ 226001
टेली/फैक्स: +91-522-2202893
e-mail - upepblko@gmail.com
Website: http://www.epbupindia.com

पत्रांक 523 /ईपीबी/एमडीए/2017-18
दिनांक : 7/9/ 2017

समस्त उपायुक्त,
जिला उद्योग एव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः- एम.डी.ए. योजनान्तर्गत दावों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 1955/18-4-13-29 (विविध)/12 दिनांक 31 जनवरी,2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास सहायता (MDA) योजनान्तर्गत निर्यातक इकाइयों को विगत वित्तीय वर्ष के दावे वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक आनलाईन फाइल करते हुए उनकी हार्ड कापी समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित प्रत्येक दशा में 15 अक्टूबर तक सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों को उपलब्ध करा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्तानुसार प्राप्त होने वाले दावों को जनपद स्तर से निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को उपलब्ध कराये जाने में लगने वाले समय के विश्लेषण से यह दृष्टिगत हुआ है कि अधिकांश मामलों में जनपद स्तर पर दावों एवं उनके साथ संलग्न अभिलेखों का योजनान्तर्गत निहित प्राविधानों के आलोक में विधिवत् परीक्षण किये बिना ही अग्रसारित कर दिए जाते हैं, तथा इनका अग्रसारण भी काफी विलम्ब से किया जाता है, जिसके कारण ब्यूरो स्तर पर प्राप्त होने वाले इन दावों की स्क्रूटनी, अपूर्णताओं का निराकरण तथा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में भी काफी विलम्ब होता है । दावों के निस्तारण की प्रक्रिया में होने वाले अनावश्यक विलम्ब से निर्यातक इकाईयो के बीच विभाग की छवि धूमिल होती है तथा इकाईयों द्वारा अनिस्तारित दावों के संबंध में समय-समय पर शीर्षस्तरीय अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया जाता है । यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक ऑनलाइन फाइल किये हुए समस्त दावों, जिनकी हार्ड कापी समस्त संलग्नक सहित जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर 15 अक्टूबर तक प्राप्त हो जाती है, का शासनादेश में निहित प्राविधानों के आलोक मे विधिवत् परीक्षण कर लिया जाये।

क्रमशः पृष्ठ-2

निर्यातक इकाईयो से प्राप्त हुए दावों में यदि किसी भी प्रकार की अपूर्णता/अस्पष्टता परलक्षित होती है तो उसका निराकरण जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के स्तर पर ही कराते हुए समस्त रूप से पूर्ण दावों को ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन सुस्पष्ट संस्तुति के साथ प्रत्येक दशा में 30 नवम्बर तक निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को उपलब्ध करा दिया जाये तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया जाय कि गत वर्षों का कोई दावा लम्बित नहीं है। दावों के सुगम परीक्षण तथा आवश्यक अभिलेखों की संलग्नता सुनिश्चित करने के क्रम में योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में वांछित अभिलेखों का विवरण (चेक लिस्ट) पत्र के साथ संलग्न हैं।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त दावों का कार्यालय स्तर पर परीक्षण करते हुए अपने आब्जर्वेटिव रिमार्क के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा । अपूर्णता एवं अस्पष्टता के निराकरण हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के स्तर से इकाई को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा, अपितु इस संबधं में राज्य स्तरीय समिति द्वारा यदि कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित इकाई एवं उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का होगा ।

कृपया एमडीए योजनान्तर्गत दावों की प्राप्ति एवं अग्रसारण के संबधं में उक्तानुसार उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(आर.के सिंह) 6/9/17
अपर आयुक्त

पृ0स0 523 उक्त तददिनांक- 7/9/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0 ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,उ0प्र0 कानपुर ।
3. उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4, उ0प्र0शासन ।
4. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकृत समस्त निर्यातक इकाई ।
5. मेसर्स भारतीय एसोसिएटेड इंक, एल-111-90, सेक्टर-डी0 अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि ब्यूरो की वेवसाइट पर पत्र अपलोड करें ।

(आर.के सिंह) 6/9
अपर आयुक्त

विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत 04 श्रेणियो के दावो के साथ संलग्न होने वाले आवश्यक प्रपत्र जो उपायुक्त उद्योग द्वारा मूल अथवा सत्यापित करते हुए ब्यूरो को भेजा जाना है ।

श्रेणी-1 मेला एवं प्रदर्शनी

1. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का पंजीयन प्रमाण-पत्र
2. उ.प्र. निर्यात संवंद्धन परिषद का पंजीयन प्रमाण-पत्र
3. उद्योग आधार
4. आई.ई.सी. कोड प्रमाण-पत्र
5. पास पोर्ट एवं बीजा की प्रति तथा मेले में जाने व आने की यात्रा की पुष्टि के संबंध में तिथि सहित सील ।
6. संबंधित मेले का स्टाल आबण्टन-पत्र / इन्वाइस
7. मेले से संबंधित जाने व आने का एयर टिकट/ई.टिकट बोर्डिंग पास ।
8. संबंधित मेले एवं एअर फेयर के भुगतान की इन्वाइस/बिल
9. स्टाल आबण्टन एवं एअर फेयर के व्यय से संबंधित सी.ए. प्रमाण-पत्र
10. शपथ पत्र
11. संबंधित सेवा प्रदाता को किये गये भुगतान का बैक प्रमाण-पत्र

श्रेणी-2 सैम्पल

1. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का पंजीयन प्रमाण-पत्र
2. उ.प्र. निर्यात संवंद्धन परिषद का पंजीयन प्रमाण-पत्र
3. उद्योग आधार
4. आई.ई.सी. कोड प्रमाण-पत्र
5. विदेश में भेजे गए सैम्पल की सेवा प्रदाता की इन्वाइस/बिल
6. निर्यातक इन्वाइस मूल रूप में
7. एअर वे बिल मूल रूप में (जिसके द्वारा विदेशो मे सैम्पल भेजा गया)
8. सी.ए. प्रमाण-पत्र
9. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर
10. सेवा प्रदाता को किये गये भुगतान का बैक प्रमाण-पत्र

श्रेणी-3 प्रचार - प्रसार

1. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का पंजीयन प्रमाण-पत्र
2. उ.प्र. निर्यात संवंद्धन परिषद का पंजीयन प्रमाण-पत्र
3. उद्योग आधार
4. आई.ई.सी. कोड प्रमाण-पत्र
5. मेले से संबंधित कैटलाग /बोशर, वेबसाइट बनवाने की सीडी, विदेशी पत्रिका में छपवाये गये विज्ञापन आदि की मूल कापी ।
6. इन्वाइस /बिल की प्रति के साथ प्राप्ति रसीद
7. सी.ए. प्रमाण-पत्र
8. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर
9. सेवा प्रदाता को किये गये भुगतान का बैक प्रमाण-पत्र

श्रेणी-4 आई.एस.ओ./बीएसआई प्रमाण-पत्र

1. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का पंजीयन प्रमाण-पत्र
2. उ.प्र. निर्यात संवंद्धन परिषद का पंजीयन प्रमाण-पत्र
3. उद्योग आधार
4. आई.ई.सी. कोड प्रमाण-पत्र
5. आईएसओ./बी.एस.आई प्रमाण-पत्र
6. सेवा प्रदाता की इन्वाइस/बिल एवं प्राप्ति रसीद
7. सीए. प्रमाण-पत्र
8. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर
9. सेवा प्रदाता को किये गये भुगतान का बैक प्रमाण-पत्र

श्रेणी-1 मेला एवं प्रदर्शनी

दिनांक 09.03.2017 की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार बोर्डिंग पास उपलब्ध न करा पाने वाली इकाईयों को आप द्वारा उनके मेले में प्रतिभाग करने से सहमत होने पर दावा प्रेषण के साथ निम्नलिखित आशय का प्रमाण-पत्र यात्रा पुष्टि के प्रमाण स्वरूप उससे सम्बन्धित अभिलेखों की सत्यापित प्रति के साथ देते है तभी इकाई के दावों को विचारार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इकाई के प्रतिनिधि द्वारा वास्तव में संबंधित मेले में प्रतिभाग किया गया है तथा इसकी पुष्टि यात्रा सम्बन्धी अन्य दस्तावेजों से कर ली गयी है, जिनकी सत्यापित प्रतियाँ भी संलग्न हैं। इनसे संतुष्ट होकर दावे की स्वीकृति हेतु संस्तुति कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर
उपायुक्त उद्योग

यदि आपका उक्त आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त नही होता है तो इस तरह के मामले निरस्त किए जाने हेतु समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

श्रेणी-2 सैम्पल

क्रमाक	निर्यातक इन्वाईस विवरण		वास्तवित सेवा प्रदाता का एअर वेबिल संख्या	वास्तवित सेवा प्रदाता (कोरियर) की बीजक संख्या	व्यय धनराशि
	संख्या	दिनांक			